IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ़ॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले निम्नलिखित नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। कार्ड का इस्तेमाल करके, आप इन नियमों और शर्तों से सहमत होते हैं और संबंधित आरबीआई विनियमों, आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विनियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ('अधिनियम'), समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित/लागू अधिनियम के तहत बनाए गए सभी लागू नियमों और विनियमों और समय-समय पर किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम का पालन करने का वादा करते हैं।

परिभाषाएं:

1. **एटीएम**: ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो दुनिया भर में वीज़ा लोगो वाले बैंकों के नेटवर्क से जुड़ी होती हैं और पैसे निकालने या अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
2. **कार्ड:** आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ़ॉरेक्स कार्ड।
3. कार्डहोल्डर**:** यह उस बैंक ग्राहक को संदर्भित करता है जिसे कार्ड जारी किया गया है। सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग भी समाहित है।
4. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक**: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक बैंकिंग कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय केआरएम टॉवर, 79 फ्लोर नंबर 1, हैरिंगटन रोड, चेन्नई, भारत में है। ("आईडीएफसी फर्स्ट बैंक" या "बैंक")
5. **"मर्चेंट" या "मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट":** वे जगहें जहां यह कार्ड स्वीकार किया जाता है, चाहे वे कहीं भी हों। इसमें दुकानें, स्टोर, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, कंपनियां आदि शामिल हैं, जो इस कार्ड को स्वीकार करते हैं।
6. **पिन**: व्यक्तिगत पहचान संख्या, जिसे कार्डहोल्डर खुद बैंक के ज़रिए दिए गए वेब पोर्टल लिंक पर जाकर बनाता है और जो कार्ड चलाने के लिए ग्राहक को दिया जाता है
7. **पीओएस टर्मिनल**: विदेशी दुकानों या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट (भारत, नेपाल और भूटान के अलावा) पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जहां लेनदेन किया जा सकता है। कार्डहोल्डर यहां अपने ट्रैवल फ़ंड का इस्तेमाल करके खरीदारी कर सकते हैं।
8. **शेयर्ड नेटवर्क:** ऐसे एटीएम जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नहीं हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड को स्वीकार करते हैं।
9. **लेनदेन:** एटीएम से नकद निकासी, मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर खरीदारी या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कार्ड का इस्तेमाल करके की गई खरीदारी।

कार्ड के लिए योग्यता

1. कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट है, भारत में किसी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा के माध्यम से इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. कार्ड का जारी किया जाना आवेदक द्वारा लागू कानूनों (जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल है), नियमों, विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।
3. कार्ड के लिए आवेदक को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को पूर्ण करके जमा करना होगा, साथ ही बैंक द्वारा आवश्यक या अनुरोधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

मान्यता

कार्ड छपने की तारीख (महीना/वर्ष) से 5 साल के लिए मान्य रहेगा और इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता

कार्ड का एक्टिवेशन

1. कार्ड तब एक्टिव हो जाएगा जब सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी, जिसमें एलआरएस (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) सीमा के अंदर आने वाला लेनदेन, बैंक की सेंट्रल ऑपरेशंस टीम के ज़रिए स्वीकृति, ग्राहक के अकाउंट से राशि का सफल डेबिट और कार्ड पर लोड की गई करेंसी शामिल है। इसके बाद ग्राहक को सेल्फ-केयर वेब पोर्टल के माध्यम से कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। कार्ड जारी होने पर, बैंक कार्डहोल्डर को एक एसएमएस भेजेगा (इस खंड के उद्देश्य के लिए "एसएमएस" का अर्थ कार्डहोल्डर को उसके पंजीकृत भारतीय मोबाइल फोन नंबर पर भेजे गए कस्टमाइज्ड मैसेज होंगे, जो शॉर्ट मैसेजिंग सेवा के रूप में हैं) जिसमें कार्ड पर लोड की गई फ़ॉरेक्स फ़ंड की राशि बताई गई होगी। बैंक जब चाहे इस सुविधा को बंद कर सकता है।

कार्ड का इस्तेमाल

1. कार्ड का इस्तेमाल दुनिया भर के किसी भी एटीएम से फ़ॉरेक्स फ़ंड निकालने के लिए किया जा सकता है, सिर्फ भारत, नेपाल और भूटान के अलावा। फ़ंड निकालने के लिए, कार्डहोल्डर को एटीएम में कार्ड डालना होगा, पिन दर्ज करना होगा और जितनी राशि निकालनी है, वह दर्ज करनी होगी। लेनदेन के बाद, कार्ड को एटीएम से निकाल लेना चाहिए।

2. कार्डहोल्डर भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य जगहों के मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर लगने वाले शुल्कों के भुगतान के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट किसी भी कारण से कार्ड के इस्तेमाल को अस्वीकार कर सकते हैं। कार्ड से की गई प्रत्येक खरीद या फ़ॉरेक्स फ़ंड की निकासी की राशि कार्डहोल्डर के फ़ॉरेक्स फ़ंड से तुरंत डेबिट कर दी जाएगी। अगर कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, तो लेनदेन पूरा नहीं हो पाएगा।

3. कार्डहोल्डर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर विदेशी करेंसी में ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर), हालांकि, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी कारण से कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। कार्ड से की गई प्रत्येक खरीदारी या फ़ॉरेक्स फ़ंड की निकासी की राशि कार्डहोल्डर के फ़ॉरेक्स फ़ंड से तुरंत डेबिट हो जाएगी। अगर फ़ॉरेक्स फ़ंड में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, तो लेनदेन पूरा नहीं किया जाएगा।

4. कार्ड के लिए आवेदक को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरकर, हस्ताक्षर सहित जमा करना होगा और साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे। यह कार्ड इंटरनेट पर उन इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां भुगतान विदेशी करेंसी में किया जाना है। कार्डहोल्डर किसी भी समय कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं और कार्ड में उपलब्ध फ़ॉरेक्स फ़ंड की शेष राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बैंक द्वारा निर्धारित रिफ़ंड फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। रिफ़ंड सिर्फ भारतीय रुपये में ही मिलेगा, जो रिफ़ंड के दिन लागू करेंसी विनिमय दर के अनुसार होगा। अगर कार्ड पर कोई अधूरा लेनदेन है, तो कार्डहोल्डर को रिफ़ंड प्राप्त करने के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी अनधिकृत स्थान पर या इन नियमों और शर्तों में बताए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए करना सख्त मना है। ऐसा करने पर बैंक कार्ड को रद्द कर सकता है। यह कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में विदेशी करेंसी लेनदेन के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कार्ड खो जाता है, अनधिकृत रूप से इस्तेमाल होता है, या बैंक द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो बैंक किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5. कार्डहोल्डर इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से नकद फ़ॉरेक्स फ़ंड निकालने, एटीएम पर बैलेंस चेक करने (या पीओएस टर्मिनल के माध्यम से मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। भारत के बाहर किसी

एटीएम से नकद निकासी उस करेंसी में होगी, जिसे एटीएम संचालित करने वाला नेटवर्क अनुमति देता है। निकाली गई राशि के बराबर की राशि (बदलाव शुल्क, रूपांतरण शुल्क या अन्य लागू शुल्क सहित) कार्डहोल्डर के फ़ॉरेक्स फ़ंड से काट ली जाएगी, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क नियमों के अनुसार लागू होगा।

6. कार्डहोल्डर आपातकालीन, चिकित्सा और यात्रा सहायता जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो बैंक समय-समय पर देता है। बैंक इन सेवाओं को कभी भी बंद, रद्द, निलंबित या समाप्त कर सकता है, इस पर पूरी तरह से बैंक का अधिकार होगा।
7. बैंक अपने विवेकानुसार, आवश्यकतानुसार या उपयुक्त शर्तों पर, अपने उत्पादों/सेवाओं के संबंध में बाह्य सेवा प्रदाताओं या एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

कार्ड के इस्तेमाल की सीमाएं

1. व्यक्तिगत कार्डहोल्डर को जारी किया गया कोई भी कार्ड, समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम खर्च सीमा के अधीन होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक/बैंक के खुद के दिशानिर्देशों और समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार होगा।
2. बैंक कार्डहोल्डर को इन सीमाओं / प्रतिबंधों की जानकारी देने या उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर इन प्रतिबंधों, सीमाओं या एटीएम, शेयर नेटवर्क/ मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर लेनदेन में अंतर के कारण कार्डहोल्डर को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
3. बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेनदेन की दैनिक या निश्चित समय की अवधि में अधिकतम फ़ॉरेक्स फ़ंड की सीमा तय या कम कर सकता है। इसके अलावा, एटीएम, शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर भी कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले लेनदेन की संख्या या राशि पर अपनी सीमाएं लागू कर सकता है। ये सीमाएं प्रत्येक एटीएम, शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट के लिए अलग-अलग होंगी। बैंक ऐसी सीमाओं/प्रतिबंधों के बारे में कार्डहोल्डर को पता लगाने या सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इन प्रतिबंधों, सीमाओं या एटीएम, शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट पर अनुरोध किए गए लेनदेन में अंतर के कारण कार्डहोल्डर को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. बैंक कार्डहोल्डर को फ़ॉरेक्स फ़ंड पर कोई ब्याज, मुआवजा या कोई अन्य लाभ/बोनस नहीं देगा। फ़ॉरेक्स फ़ंड बैंक (या किसी अन्य व्यक्ति) के पास कार्डहोल्डर की जमा राशि नहीं मानी जाएंगी, न ही यह कार्डहोल्डर को कोई ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट की सुविधा देगा। अगर कार्डहोल्डर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता है, तो इससे होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अन्य प्रकार के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कार्डहोल्डर इस बात से सहमत है और कार्ड के इस्तेमाल और/या कार्डहोल्डर द्वारा समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन न करने के कारण होने वाले किसी भी दायित्व, कानूनी कार्यवाही, दावे, बकाया राशि, शुल्क या खर्चों के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा और बैंक को किसी भी नुकसान से मुक्त रखेगा।
5. अगर कार्ड रद्द कर दिया जाता है (या इसका इस्तेमाल निलंबित कर दिया जाता है), चाहे वह समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन न करने के कारण हो या किसी अन्य कारण से, तो बैंक कार्ड के इस्तेमाल/प्रयास किए गए इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे कार्ड अस्वीकार हो सकते हैं या अन्य परेशानी आ सकती हैं। रद्द (और/या निलंबित) किए गए कार्ड को इस्तेमाल करने का जोखिम पूरी तरह से उस व्यक्ति या कार्डहोल्डर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

कोई भी व्यक्ति एक ही करेंसी में कई कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता या प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कार्डहोल्डर ने पहले भी कार्ड प्राप्त किया है, तो किसी भी समय, कार्डहोल्डर को जारी किया गया अंतिम कार्ड मान्य और एक्टिव रहेगा, जब तक कि बैंक द्वारा उसे रद्द या समाप्त न कर दिया जाए।

सोर्स पर टैक्स संग्रह (टीसीएस) वित्तीय अधिनियम, 2020 के प्रावधान के तहत लागू है। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया दिए गए लिंक में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देखें: फ़ॉरेक्स कार्ड - मल्टी करेंसी विकल्पों के साथ फ़ॉरेक्स ट्रैवल कार्ड खरीदें | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

फ़ॉरेक्स कार्ड पर टीसीएस की लागू होने योग्यता	
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2020 से बैंक के लिए आपके एलआरएस लेनदेन पर सोर्स पर टैक्स (टीसीएस) एकत्र करना अनिवार्य है, जिसमें फ़ॉरेक्स कार्ड और धन प्रेषण शामिल हैं।	
धन प्रेषण की नेचर	**टीसीएस%**
लोन के माध्यम से वित्तपोषित शिक्षा व्यय	एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.5% लागू होगा
लोन द्वारा वित्तपोषित नहीं किया गया शिक्षा व्यय	एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि पर 5% लागू होगा
विदेशी यात्रा पैकेज	फ़ॉरेक्स कार्ड में लोड की गई पूरी राशि पर 5% लागू होगा। ध्यान दें: इसमें 7 लाख रुपये की कोई सीमा नहीं है, सभी लेनदेन टीसीएस के अधीन हैं।
किसी अन्य उद्देश्य के लिए (व्यक्तिगत यात्रा सहित)	एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5% लागू होगा

लेनदेन के रिकॉर्ड और विवरण

1. एटीएम या शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट/ईकॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से कार्डहोल्डर द्वारा लेनदेन पूरा करने पर, कार्डहोल्डर को ऐसे लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे एटीएम या शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट/ईकॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किसी भी रसीद/रिकॉर्ड, अगर कोई हो, को प्राप्त करना और सत्यापित करना सुनिश्चित करना होगा। ऐसी रसीदें/रिकॉर्ड, ऐसे एटीएम, शेयर नेटवर्क और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट/ईकॉमर्स वेबसाइट पर कार्ड का इस्तेमाल किए जाने पर शेष फ़ॉरेक्स फ़ंड दिखा सकते हैं। कार्डहोल्डर सेल्फ़-केयर पोर्टल पर लॉग इन करके या बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके उपलब्ध शेष फ़ॉरेक्स फ़ंड के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
2. कार्डहोल्डर मासिक लेन-देन का विवरण सेल्फ़-केयर पोर्टल में लॉग इन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिस अनुरोध पर वास्तविक समय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किसी भी देरी या इस मासिक लेन-देन विवरण अनुरोध के न प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

गड़बड़ी, सवाल या शिकायतें

1. कार्डहोल्डर कार्ड या मासिक विवरण आदि से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए, **बैंक के कस्टमर केयर नंबर 1800 10 888 (भारत में होने पर**) या बैंक की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित संबंधित देशों के टोल-

फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी विवाद या शिकायत के मामले में, कार्डहोल्डर को बैंक को पूरी और सही जानकारी लिखित रूप में देनी होगी ताकि बैंक शिकायत/विवाद या सवाल की जांच और उचित तरीके से जवाब/समाधान दे सके।

2. ऊपर दिया गया या कार्ड के पीछे लिखा कस्टमर केयर नंबर बैंक के अनुसार बदल सकता है।

3. कार्डहोल्डर को शिकायत या पूछताछ करते समय निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

    i. कार्डहोल्डर का नाम, पता और कार्ड के किट का नंबर

    ii. लेनदेन और/या शिकायत का पूरा विवरण (जिसमें लेनदेन की तारीख और एटीएम/ मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट शामिल हो) वह कारण जिसके आधार पर कार्डहोल्डर लेनदेन पर विवाद कर रहा है या कोई सवाल या शिकायत उठा रहा है ; और

    iii. लेन-देन की राशि

4. अगर बैंक को मामले की जांच या समाधान के लिए किसी और जानकारी/दस्तावेज की जरूरत होती है, तो कार्डहोल्डर इसे देने के लिए सहमत होता है। अगर जांच से कार्डहोल्डर संतुष्ट नहीं होता है, तो बैंक उसे लिखित रूप में या अन्य तरीके से जांच के परिणाम और/या शिकायत के समाधान की प्रक्रिया के बारे में सूचित कर सकता है।

कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) की सुरक्षा

1. कार्डहोल्डर को पिन की गोपनीयता, सुरक्षा और सुरक्षित रखरखाव बनाए रखनी चाहिए, अगर पिन की गोपनीयता, सुरक्षा या सावधानी नहीं बरती जाती है, तो इसका नुकसान कार्डहोल्डर को ही उठाना पड़ सकता है। कार्डहोल्डर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना पिन किसी को न बताए और एटीएम या पीओएस टर्मिनल में पिन डालते समय कोई और उसे न देख सके। सलाह दी जाती है कि कार्डहोल्डर अपने पिन को याद रखे और इसे कहीं लिखकर न रखे, ताकि यह किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच में न आए। पिन को किसी भी तीसरे व्यक्ति, यहां तक कि बैंक के कर्मचारियों या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट्स को भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बताया जाना चाहिए।

2. अगर कार्डहोल्डर कार्ड और पिन की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता है, तो कार्डहोल्डर को कार्ड के अनधिकृत इस्तेमाल के कारण होने वाले किसी भी नुकसान (जिसमें फ़ॉरेक्स फ़ंड के सभी या आंशिक नुकसान शामिल हैं) को वहन करना पड़ सकता है। बैंक कार्डहोल्डर को सलाह देता है कि वह पिन की सुरक्षा के लिए कार्डहोल्डर द्वारा सही समझे जाने वाले अन्य उपायों के अलावा निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें/अपनाए:

    I. कार्डहोल्डर को अपना पिन किसी को नहीं बताना चाहिए।

    II. कार्डहोल्डर को एटीएम में पिन दर्ज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई और इसे न देख सके।

    III. कार्डहोल्डर को पिन याद कर लेना चाहिए और उसके किसी भी लिखित रिकॉर्ड को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इसे एक्सेस न कर सके।

बीमा

सभी पक्षों ने जोखिमों के कवरेज के तरीके और इससे जुड़ी जरूरतों के लिए एक समझ बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें अन्य मामलों के अलावा, पॉलिसी जारी करना, दस्तावेज़ीकरण में सहायता, प्रतिक्रियाओं के लिए समय सीमा तय करना, दावों की स्थिति में कर्तव्यों की प्रक्रिया और समय-सारणी को परिभाषित करना, अन्य कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान करना, विवाद समाधान पर ध्यान देना, पॉलिसी अवधि के दौरान पत्राचार/नोटिस के संचार के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को नामित करना आदि शामिल होंगे।

1 पॉलिसी संख्या 1901826169/0239780346

2 पॉलिसी का नाम: फ़ॉरेक्स कार्ड पॉलिसी

3 बीमाकृत नाम: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

5 पता: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, द स्क्वायर, सी-61, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला

हानि की सूचना: प्रत्येक हानि की सूचना उचित समय के अंदर विलिस टॉवर वॉटसन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड/टाटा एआईजी को दी जानी चाहिए, जब यह घटना घटित हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो

दावा रिपोर्ट करते समय डब्ल्यूटीडब्ल्यू को निम्नलिखित विवरण देना जरुरी है:

1. फ़ॉरेक्स कार्ड नंबर

2. कार्ड होल्डर का नाम

3. भारतीय रुपए में दावा राशि

4. हानि की तारीख / घटना की तारीख

5. दावा का नेचर

6.नुकसान की जगह

दावा रिपोर्टिंग और दस्तावेज जमा करने की समय सीमा:

धोखाधड़ी लेनदेन की तारीख से 24 घंटे के अंदर ब्रोकर/बीमा कंपनी को दावा किया जाना चाहिए।

दावा से जुड़े दस्तावेज कार्डहोल्डर द्वारा बैंक को सूचना देने की तारीख से 30 दिनों के अंदर ब्रोकर/बीमाकर्ता कंपनी को भेजे जाने चाहिए।

दावा से जुड़े दस्तावेज़ की सूची:

धोखाधड़ी शुल्क:

✓ दावा फॉर्म जिसे दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से भरा और साइन किया गया हो।

✓ नवीनतम अकाउंट का विवरण (हानि वाले महीने का)।

✓ पासपोर्ट की कॉपी, जिसमें भारत से बाहर जाने का और वापसी पर इमिग्रेशन स्टैंप सहित सभी पेज शामिल हों, साथ ही पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी।

✓ बैंक द्वारा जारी घटना रिपोर्ट।

✓ ग्राहक द्वारा बैंक को दिया गया विवाद पत्र।

✓ पुलिस शिकायत/डायरी एंट्री/ऑनलाइन शिकायत/एफआईआर।

एटीएम हमला और लूटपाट:

✓ दावा फॉर्म जिसे दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से भरा और साइन किया गया हो।

✓ नवीनतम अकाउंट का विवरण (हानि वाले महीने का)।

✓ पासपोर्ट की कॉपी, जिसमें भारत से बाहर जाने का और वापसी पर इमिग्रेशन स्टैंप सहित सभी पेज शामिल हों, साथ ही पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी।

✓ बैंक द्वारा जारी घटना रिपोर्ट।

✓ ग्राहक द्वारा बैंक को दिया गया विवाद पत्र।

✓ पुलिस शिकायत/डायरी एंट्री/ऑनलाइन शिकायत/एफआईआर।

खरीद सुरक्षा:

✓ दावा फॉर्म, जिसे दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से भरा और साइन किया गया हो।

✓ नवीनतम अकाउंट का विवरण (हानि वाले महीने के लिए)

✓ पासपोर्ट की कॉपी, जिसमें भारत से बाहर जाने का इमिग्रेशन स्टाम्प से लेकर भारत वापस आने का इमिग्रेशन स्टैंप तक सभी पेज शामिल हों, साथ ही पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज।

✓ बैंक द्वारा घटना रिपोर्ट।

✓ग्राहक द्वारा बैंक को दिया गया विवाद पत्र।

✓ बैंक द्वारा पहले और वर्तमान पते की जानकारी।

✓पुलिस शिकायत/डायरी एंट्री/ऑनलाइन शिकायत/एफआईआर।

✓ नुकसान के कारण ज़रूरी सामान खरीदने के लिए किए गए खर्चों के बिल:

मूल (अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू हो)।

✓ खरीददारी का बिल: मूल।

✓ खर्च किए गए मूल चालान जिसमें खरीदी गई वस्तुओं का विवरण हो और कार्ड स्टेटमेंट जिसमें खरीदारी का विवरण हो।

चेक-इन बैगेज में देरी:

✓ दावा फॉर्म, जिसे दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से भरा और साइन किया गया हो।

✓ पीआईआर रिपोर्ट - मूल

✓ कॉमन कैरियर द्वारा चेक-इन बैगेज की नॉन-डिलीवरी/शॉर्ट डिलीवरी के लिए भुगतान की गई मुआवजे की वाउचर।

✓ चेक-इन बैगेज की गैर-डिलीवरी/कम डिलीवरी के संबंध में सामान्य वाहक के साथ आदान-प्रदान किए गए पत्राचार की कॉपी, अगर कोई हो।

✓ मूल यात्रा के टिकट, जिसमें किराया और भुगतान की जानकारियां दी गई हों।

✓ पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी, जिसमें विदेश में प्रवेश स्टैंप और भारत से निकासी स्टैंप हो।

✓ एनईएफटी फॉर्म और रद्द किया हुआ चेक, जिसमें बीमित व्यक्ति/ दावा करने वाले के भारतीय बैंक अकाउंट की जानकारियां हों।

हाइजैक के दौरान रोजाना मिलने वाली राशि:

✓ दावा फॉर्म, जिसे दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से भरा और साइन किया गया हो।

✓ पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी, जिसमें विदेश में प्रवेश स्टैंप और भारत से निकासी स्टैंप हो।

✓ मूल यात्रा के टिकट, जिसमें किराया और भुगतान की जानकारियां दी गई हों।

✓एनईएफटी फॉर्म और रद्द किया हुआ चेक, जिसमें बीमित व्यक्ति/ दावा करने वाले के भारतीय बैंक अकाउंट की जानकारियां हों।

चेक-इन बैगेज का नुकसान:

✓ दावा फॉर्म, जिसे दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से भरा और साइन किया गया हो।

✓ पीआईआर रिपोर्ट - मूल

✓ कॉमन कैरियर द्वारा चेक-इन बैगेज के न पहुंचने/आंशिक रूप से पहुंचने के लिए दी गई मुआवजे की वाउचर।

✓ चेक-इन बैगेज के न पहुंचने / आंशिक रूप से पहुंचने के संबंध में कॉमन कैरियर के साथ किए गए पत्राचार की कॉपी, अगर कोई हो।

✓ मूल यात्रा के टिकट, जिसमें किराया और भुगतान की जानकारियां दी गई हों।

✓ पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी, जिसमें विदेश में प्रवेश के स्टैंप और भारत से निकासी के स्टैंप हो।

✓ एनईएफटी फॉर्म और रद्द किया हुआ चेक, जिसमें बीमित व्यक्ति/ दावा करने वाले के भारतीय बैंक अकाउंट की जानकारियां हों

कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर:

✓ दावा फॉर्म, जिसे दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से भरा और साइन किया गया हो।

✓ विलंबित फ्लाइट ऑपरेटर से यह पुष्टि कि फ्लाइट देर से क्यों आई और देरी होने पर सही समय और तय समय क्या था।

✓ जारी फ्लाइट (मिस की गई फ्लाइट) का इस्तेमाल न किया गया टिकट, जिस पर एयरलाइन द्वारा रद्द करने का स्टैंप हो।

✓ मिस की गई फ्लाइट के उड़ान ऑपरेटर से प्रमाण पत्र कि मिस की गई फ्लाइट के द्वारा कवर की गई यात्रा के भाग का किराया पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त कर लिया गया है, और उस राशि का विवरण।

✓ मूल इस्तेमाल गई टिकट, जो वैकल्पिक उड़ान के लिए ताजे तौर पर प्राप्त की गई हो (अगर यात्रा जारी रही हो) और मिस की गई फ्लाइट द्वारा कवर किए गए यात्रा के भाग के लिए, जिसमें किराए के रूप में चुकाए गए पैसे का उल्लेख किया गया हो।

✓एनईएफटी फॉर्म और रद्द किया हुआ चेक जिसमें बीमित व्यक्ति / दावेकर्ता के भारतीय बैंक अकाउंट के विवरण दिए गए हों।

दुर्घटना में मृत्यु (24 घंटे):

✓ दावा फॉर्म, जिसे नामांकित व्यक्ति द्वारा भरा और साइन किया गया हो।

✓ संबंधित एयरलाइनों से पुष्टि पत्र

✓ एयर टिकट की कॉपी

✓ अगर उपलब्ध हो, तो बोर्डिंग पास

कार्ड को रीलोड करना

1. जब कार्ड पर लोड किए गए फ़ॉरेक्स फ़ंड्स समाप्त हो जाते हैं, कार्डहोल्डर बैंक शाखा से या सेल्फ-केयर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके पंजीकृत मेल आईडी के माध्यम से अनुरोध करके कार्ड पर फ़ॉरेक्स फ़ंड्स को रीलोड कर सकते हैं, इसके लिए बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए शुल्क का भुगतान करना होगा और सभी शर्तों, लागू क़ानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जो समय-समय पर लागू होते हैं।

    I. अगर कार्डहोल्डर कार्ड को रीलोड करना चाहता है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह:

    a. बैंक को यह अधिकार है कि वह उस राशि की सीमा तय करे, जो कार्ड पर फ़ॉरेक्स फंड्स रीलोड किए जा सकते हैं;

    b. बैंक यह अधिकार रखता है कि वह कार्ड पर फ़ॉरेक्स फंड्स को रीलोड करने की संख्या की सीमा तय करे;

    c. बैंक अपने विचार के अनुसार रीलोड लेन-देन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

कार्ड को रीलोड करने के लिए, कार्डहोल्डर को बैंक द्वारा तय फॉर्म को पूरा करके जमा करना होगा और कार्डहोल्डर /कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी, जैसा कि बैंक द्वारा ज़रूरी हो सकते हैं। फ़ॉरेक्स फ़ंड को उसी/अलग करेंसी में रीलोड किया जाएगा जिसमें कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था। रीलोड की राशि समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार सख्त होगी।

अधिकतम खर्च सीमा

कोई भी कार्ड जो व्यक्तिगत कार्डहोल्डर को जारी किया जाएगा, उसे बैंक द्वारा समय-समय पर तय अधिकतम खर्च सीमा के अधीन होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार होगा जो समय-समय पर लागू होते हैं।

लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन

1. कार्डहोल्डर द्वारा कार्ड का इस्तेमाल और/ या आधिपत्य, लागू कानूनों (भारतीय करेंसी नियंत्रण/विदेशी करेंसी प्रबंधन अधिनियम सहित), नियमों, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू कानून के तहत जारी निर्देशों के अनुसार होना जरूरी है।
2. इसके अलावा, कार्ड का इस्तेमाल उस देश में समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत प्रतिबंधों/सीमाओं के अधीन होगा जहां कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
3. अगर कोई उल्लंघन होता है, तो कार्ड होल्डर ही संबंधित प्राधिकरणों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होगा

i. कार्डहोल्डर को कार्ड पर पिन लिखने या किसी अन्य तरीके से उसे दर्शाने से बचना चाहिए।

ii. कार्डहोल्डर को पिन का रिकॉर्ड किसी भी ऐसी चीज़ पर नहीं रखना चाहिए, जो सामान्यत: कार्ड के साथ रखी जाती हो या कार्ड के साथ इकट्ठी की जाती हो, ताकि वह आसानी से पहचानी जा सके और इसके कारण कार्ड के साथ-साथ पिन का भी नुकसान या चोरी न हो।

iii. कार्डहोल्डर को पिन को कार्ड के साथ नहीं रखना चाहिए या कहीं और रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, चाहे उसे किसी तरह से छिपाया क्यों न गया हो।

उपरोक्त सुझाव संपूर्ण नहीं हैं। अगर कार्डहोल्डर द्वारा सावधानियों (या अन्य उपायों) को ध्यान में रखते हुए भी कोई हानि होती है, तो उस हानि की जिम्मेदारी केवल कार्डहोल्डर की होगी। लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए कार्डहोल्डर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक कार्डहोल्डर द्वारा लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगर कार्ड रद्द कर दिया जाता है (या इसका इस्तेमाल निलंबित कर दिया जाता है), चाहे लागू कानूनों के गैर-अनुपालन के कारण और/या अन्यथा, बैंक कार्ड के किसी भी इस्तेमाल/इस्तेमाल की कोशिश के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसके कारण कार्ड के ओस्तेमाल से इनकार किया जाता है या अन्य।

खोया हुआ या चुराया गया कार्ड या पिन

1. अगर कार्डहोल्डर को लगता है कि कार्ड या पिन का दुरुपयोग किया गया है, खो गया है या चोरी हो गया है या पिन किसी ऐसे व्यक्ति को पता चल गया है जिसके बारे में कार्डहोल्डर को लगता है कि वह उसका दुरुपयोग कर सकता है, तो कार्डहोल्डर को तुरंत सेल्फ केयर पोर्टल पर लॉग इन करके कार्ड को लॉक करना होगा >> एक्टिवेट/ व्यू कार्ड पर क्लिक करें >> चोरी हुए कार्ड का चुनें और लॉक पर क्लिक करें

2. वैकल्पिक रूप से, कार्डहोल्डर को बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करके कार्ड को हॉट लिस्ट करने की जानकारी देनी चाहिए। यह सूचना देने की जिम्मेदारी कार्डहोल्डर द्वारा ऊपर दिए गए सुझावों के अनुसार या पिन के उल्लंघन को सुरक्षा देने के लिए अपनाए गए अन्य उपायों के संबंध में भी लागू होगी।

3. कार्डहोल्डर से सूचना प्राप्त होने पर, बैंक का कस्टमर केयर कार्ड के इस्तेमाल से किए गए आगे के लेन-देन को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और खोए हुए, चुराए गए या क्षतिग्रस्त कार्ड(कार्ड्स) के आगे के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करेगा। कार्ड और पिन को ब्लॉक करने के बाद, कार्डहोल्डर कार्ड का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भले ही इस्तेमाल को बाद में वह मिल जाए।

कार्डहोल्डर की जिम्मेदारी

कार्डहोल्डर सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार होगा जो कार्ड के इस्तेमाल से होते हैं, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

1. ऐसी स्थितियां जहां कार्ड और/या पिन के इस्तेमाल के माध्यम से बिना अनुमति के लेनदेन किए गए हैं, या

2. ऐसी स्थितियां जहां कथित रूप से कार्ड और/या पिन का दुरुपयोग, चोरी और/या हानि हुई हो, और यह जिम्मेदारी तब तक जारी रहती है जब तक:

   (i) जब तक बैंक को ऐसे अमान्य लेनदेन के बारे में सूचना नहीं दी जाती जो कार्ड और/या पिन का इस्तेमाल करके किए गए हों, और

   (ii)जब तक बैंक कार्ड और/या पिन के आगे के इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक ब्लॉक नहीं कर देता।

बैंक की जिम्मेदारी की छूट

1. बैंक ऐसी अनधिकृत लेन-देन के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, जो कार्ड और/या पिन का इस्तेमाल करके की गई हो, या कार्ड और/या पिन का किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग, खो जाना, या चोरी होना।
2. बैंक निम्नलिखित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्रवाइयों, हानि, नुकसान, व्यक्तिगत चोट (जिसमें प्रतिष्ठा की वास्तविक या अनुमानित हानि, मानहानि या इसी तरह की हानि शामिल है), लागत, शुल्क और खर्चों के संबंध में कार्डहोल्डर के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा:

I. कार्ड और/या पिन का कोई भी इस्तेमाल;

II. किसी भी व्यक्ति या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट द्वारा कार्ड को मानने या स्वीकार करने से इनकार करना,

III. कोई भी एटीएम/पीओएस टर्मिनल खराब है या अन्यथा खराब है, और जिसके कारण ऐसा टर्मिनल कार्ड और/या पिन स्वीकार नहीं कर रहा है या अन्यथा;

IV. किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से इस्तेमाल, जिसमें कार्डहोल्डर भी शामिल है;

V. किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड को सरेंडर/रद्द करने के लिए किए गए किसी भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा उस से जुड़ा हुआ कोई भी काम;

VI. कार्डहोल्डर द्वारा कार्ड को बैंक के कार्यालय में बैंक के निर्धारित कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना;

VII. बैंक द्वारा कार्ड की समाप्त होने की तारीख से पहले कार्ड की वापसी की मांग करने और उसे प्राप्त करने का अधिकार का प्रयोग, चाहे वह मांग और वापसी बैंक द्वारा की गई हो या किसी अन्य व्यक्ति या एटीएम/पीओएस टर्मिनल द्वारा;

VIII. बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग;

IX. कार्ड की पुनः प्राप्ति/ रद्दीकरण और/या इसके वापस करने के लिए अनुरोध;

X. बैंक को बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयान, गलत प्रतिनिधित्व, गड़बड़ी या चूक;

XI. ऐसी स्थिति में कार्ड और/या पिन की प्रक्रिया को अस्वीकृत करना, जब कार्ड विदेशी करेंसी अधिकारों से ज्यादा हो,

XII. अगर कार्डहोल्डर से फोरेक्स फंड्स ज्यादा बकाया राशि/प्राप्त धनराशि के सेटलमेंट के लिए बैंक या बैंक की ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मांग या दावा किया जाता है;

XIII. कार्ड के इस्तेमाल और/या फोरेक्स फंड्स तक पहुंच को समाप्त करने, निलंबित करने, ब्लॉक करने या अस्वीकार करने पर, अन्य बातों के साथ-साथ, जब यह तय करना जरुरी हो जाता है कि क्या कोई बैलेंस शेष फोरेक्स फंड्स प्राप्त करने/कार्ड का इस्तेमाल करने का सही हकदार है और/या लागू कानून, नियमों और विनियमों या किसी उपयुक्त प्राधिकारी के निर्देश द्वारा जरुरी कोई अन्य कदम उठाने के लिए।

लोड किए जाने वाले फ़ॉरेक्स फंड्स से ज्यादा धनराशि की प्राप्ति

अगर कार्डहोल्डर को फ़ॉरेक्स फ़ंड से ज्यादा धनराशि प्राप्त हुई है, तो कार्डहोल्डर बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ऐसी किसी भी धनराशि का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत है।

बैंक के पास यह मानने का आधार है कि कार्डहोल्डर को किसी भी कारण से (एटीएम, पीओएस या अन्य उपकरण या बैंक प्रणाली की खराबी सहित) कार्डहोल्डर द्वारा अनुरोधित फ़ॉरेक्स फ़ंड से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, तो बैंक कार्डहोल्डर को इसकी सूचना देगा और बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर फ़ॉरेक्स फ़ंड से कार्डहोल्डर द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धनराशि काट लेगा।

बैंक अपने या अपनी किसी समूह कंपनी के साथ रखे गए कार्डहोल्डर के किसी भी खाते से ऐसी अतिरिक्त धनराशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे वह खाता संयुक्त खाता हो या एकल खाता हो या अन्यथा, या और/या कार्डहोल्डर को अधिसूचना पर तुरंत ऐसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए कहने का अधिकार, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो बैंक निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्डहोल्डर से फ़ॉरेक्स फ़ंड से अधिक बकाया राशि/प्राप्त धनराशि के निपटान के लिए मांग या दावा किया जाता है, तो कार्डहोल्डर को बिना किसी शर्त के कार्ड पर बकाया पूरी राशि और/या फ़ॉरेक्स फ़ंड से अधिक प्राप्त धनराशि का भुगतान बैंक को करना होगा। इन नियमों और शर्तों में से कोई भी बैंक के कानून के अंतर्गत या बैंक और कार्डहोल्डर के बीच समय-समय पर विद्यमान किसी अन्य समझौते के अंतर्गत धन के ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ, हस्तांतरण और आवेदन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

विवाद

कार्डहोल्डर द्वारा हस्ताक्षरित और भुगतान के लिए किसी मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट से प्राप्त कोई भी चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान अनुरोध इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि ऐसी चार्ज स्लिप या अन्य अनुरोध पर दर्ज राशि कार्डहोल्डर द्वारा कार्ड के इस्तेमाल से उचित रूप से खर्च की गई है, सिवाय ऐसी चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान अनुरोधों के जो कार्डहोल्डर द्वारा बैंक को सूचित किए जाने के बाद के दिनांक पर हस्ताक्षरित किए गए हों कि कार्ड के इस्तेमाल से कोई अनधिकृत लेनदेन हुआ है और/या पिन का किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया है, खो गया है या चोरी हो गया है, और बैंक ने ऐसे कार्ड और/या पिन को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया है।

यदि कार्डहोल्डर अपने विवरण में दर्शाए गए किसी शुल्क/राशि से असहमत होना चाहता है, तो उसे लेनदेन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर बैंक को सूचित किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी शुल्क/राशि और विवरण पूरी प्रकार से सही हैं और कार्डहोल्डर को स्वीकार्य हैं। किसी अन्य मामले में, यदि कार्डहोल्डर को लगता है कि कोई राशि गलती से फ़ॉरेक्स फ़ंड में डेबिट हो गई है, तो कार्डहोल्डर को तुरंत बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि बाद की जांच पूरी होने पर बैंक को लगता है कि कार्डहोल्डर के फ़ॉरेक्स फ़ंड में शुल्क सही तरीके से डेबिट किया गया है। बैंक बाद के विवरण में किसी भी शुल्क या अन्य राशि के साथ शुल्क को बहाल कर देगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से माल और सेवा आदि की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी आदि नहीं।

बैंक कार्डहोल्डर (या कार्डहोल्डर द्वारा या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति) को कोई प्रतिनिधित्व और/या वारंटी नहीं देता है या अन्यथा कार्डहोल्डर (या कार्डहोल्डर द्वारा या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति) को खरीदे गए/खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित/किराए पर लिए गए या अन्यथा माल की गुणवत्ता और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट सहित किसी व्यक्ति के साथ/पर कार्ड के इस्तेमाल से प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं या माल/सेवाओं की डिलीवरी में किसी देरी,

माल/सेवाओं की अडिग आपूर्ति, या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट सहित किसी व्यक्ति के साथ/पर कार्ड के इस्तेमाल से दोषपूर्ण/घटिया माल/सेवाओं की प्राप्ति के बारे में आश्वासन नहीं देता है।

खरीदे गए/किराए पर लिए गए/खरीदे जाने/किराए पर लिए जाने का प्रस्ताव या अन्यथा माल की गुणवत्ता और/या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट सहित किसी व्यक्ति के साथ/पर कार्ड के इस्तेमाल से प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव सेवाओं के संबंध में विवाद या दावे या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट सहित किसी व्यक्ति के साथ/पर कार्ड के इस्तेमाल से माल/सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी देरी, माल/सेवाओं की गैर-डिलीवरी, या दोषपूर्ण/घटिया माल/सेवाओं की प्राप्ति के लिए कार्डहोल्डर (या कार्डहोल्डर द्वारा या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति) द्वारा बैंक को संदर्भित किए बिना ऐसे व्यक्ति/व्यापारी प्रतिष्ठानों के साथ पारस्परिक रूप से हल किया जाना चाहिए।

आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और अन्य सेवाओं के संबंध में बैंक का अस्वीकरण

बैंक, कार्ड के साथ आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और कंसीयज के सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं या सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी देरी, सेवा की गैर- आपूर्ति या दोषपूर्ण/घटिया सेवाओं की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इसके अलावा, बैंक, प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता या सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी देरी, सेवाओं की गैर-आपूर्ति या दोषपूर्ण/घटिया सेवाओं की प्राप्ति के कारण कार्डहोल्डर द्वारा लिए गए किसी भी कार्रवाई, दावे, मांग, कार्यवाही, हानि, क्षति, व्यक्तिगत चोट (प्रतिष्ठा की वास्तविक या अनुमानित हानि, मानहानि या इसी प्रकार की हानि सहित), लागत, शुल्क और व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ये आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और अन्य सेवाएँ वर्तमान में भारत, नेपाल और भूटान में उपलब्ध नहीं हैं। ये आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और अन्य सेवाएँ हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल कार्डहोल्डर के लिए उपलब्ध हैं। सेवा प्रदाता इन सेवाओं को प्रदान करने से पहले पहचान सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

जहाँ भी लागू हो, ऐसी आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और अन्य सेवाओं के लिए लागू लागत, शुल्क और फीस कार्डहोल्डर को ऐसी सेवा/सेवाओं का लाभ उठाने से पहले सूचित की जाएगी और उसके बाद फ़ॉरेक्स फ़ंड से काट ली जाएगी। किसी भी आपातकालीन चिकित्सा और विदेशी करेंसी सहायता और अन्य सेवाओं के प्रदान करने की स्थिति में भुगतान की आवश्यकता होती है जिसे सेवा प्रदाता को करना आवश्यक है, ऐसी सेवाओं का प्रावधान/ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करना सेवा प्रदाता द्वारा पहले कार्डहोल्डर से कार्डहोल्डर के कार्ड के माध्यम से या कार्डहोल्डर के परिवार से भुगतान वसूलने के अधीन है। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इन सेवाओं के लिए कॉल करने वाले कार्डधारकों को विधिवत सूचित किया जाता है कि सेवाओं के संबंध में सभी तृतीय पक्ष व्यय के लिए कार्डहोल्डर पूरी प्रकार से उत्तरदायी है। बैंक या सेवा प्रदाता किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा लगाए गए/लगाए गए किसी भी लागत, शुल्क, फीस और/या व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो पूरी प्रकार से कार्डहोल्डर की जिम्मेदारी होगी।

कार्डहोल्डर का क्षतिपूर्ति दायित्व

बैंक द्वारा कार्डहोल्डर को कार्ड और संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के विचार में, कार्डहोल्डर सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत चोट, लागतों (कानूनी लागतों सहित), शुल्कों और व्ययों से बैंक को क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत होता है, जो बैंक किसी भी समय किसी कारण से या उसके परिणामस्वरूप उठा सकते हैं, सह सकते हैं या भुगत सकते हैं।

कार्डहोल्डर को समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों, नुकसान, दंड, कानूनी कार्यवाही, दावों, लागतों, शुल्कों और अन्य व्यय आदि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी और इसके लिए सहमत होना होगा।

लागत, शुल्क और फीस

कार्डहोल्डर इस प्रकार सहमत है और स्वीकार करता है:

1. कार्ड जारी करने या इस्तेमाल के संबंध में सभी लागू लागत, शुल्क और फीस (शुल्क) कार्डहोल्डर के विदेशी करेंसी कोष से स्वचालित रूप से काटी जा सकती है। वर्तमान में लागू लागत, शुल्क और फीस का विवरण कार्डहोल्डर को संबोधित कार्ड किट में या शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार उपलब्ध है, जो भी लागू हो। ऐसी लागत, शुल्क और फीस बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं, और नवीनतम लागू लागत, शुल्क और फीस बैंक के कॉल सेंटर पर कॉल करके पता लगाई जा सकती है। शुल्क में परिवर्तन विदेशी करेंसी कार्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा - फ़ॉरेक्स कार्ड - मल्टी करेंसी विकल्पों के साथ फ़ॉरेक्स ट्रैवल कार्ड खरीदें | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

2. लागत, शुल्क और फीस में निकासी शुल्क और करेंसी रूपांतरण दर शामिल है और इसमें तीसरे पक्ष द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त/अतिरिक्त लागत/शुल्क या अन्यथा शामिल हो सकते हैं

3. निकासी शुल्क लागू है और कार्डहोल्डर द्वारा एटीएम से की गई प्रत्येक निकासी के लिए फ़ॉरेक्स फ़ंड से काटा जाएगा, जो समय-समय पर बैंक द्वारा प्रकाशित शुल्कों की अनुसूची के अधीन है।

4. इसके अतिरिक्त, साझा नेटवर्क के मालिकों/संचालकों द्वारा निर्धारित और लागू किए गए लागत/शुल्क/फीस या अन्य भी लागू होंगे और साझा नेटवर्क में शामिल एटीएम से प्रत्येक निकासी के लिए फ़ॉरेक्स फ़ंड से काटे जाएंगे।

5. यदि कार्डहोल्डर उस करेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य करेंसीमें फ़ॉरेक्स फ़ंड प्राप्त करता है जिसमें कार्ड जारी किया गया था, तो रूपांतरण दर अतिरिक्त 3.5% प्लस लागू जीएसटी (या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी उच्च/अन्य दर) द्वारा बढ़ाई जाएगी, और जिसे फ़ॉरेक्स फ़ंड से काटा जाएगा। ऐसी दर को बैंक द्वारा कार्डहोल्डर की सहमति के बिना बदला या संशोधित किया जा सकते हैं और जो बदली या संशोधित की गई है, वह भी लागू होगी और उसे फ़ॉरेक्स फ़ंड से काट लिया जाएगा। रूपांतरण दर का विवरण 'करेंसी रूपांतरण दर' नामक खंड में निर्दिष्ट किया गया है।

6. ऐसी स्थिति में जब फ़ॉरेक्स फ़ंड ऐसी लागतों, शुल्कों और फीसों को काटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो बैंक कार्डहोल्डर से और/या बैंक या उसकी समूह कंपनियों के साथ कार्डहोल्डर द्वारा रखे गए किसी भी खाते (संयुक्त खातों सहित) से सीधे इसे वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और इसके अलावा, कार्ड के इस्तेमाल के माध्यम से किसी भी अन्य लेनदेन के संचालन को अस्वीकार करने/ नकारने या अवरुद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. कार्ड के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप देय शुल्क या करों सहित कोई भी वैधानिक शुल्क कार्डहोल्डर की जिम्मेदारी होगी और यदि बैंक पर लगाया जाता है/वसूली की जाती है/वसूली की मांग की जाती है (या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से), तो ऐसा वैधानिक शुल्क फ़ॉरेक्स फ़ंड से काटा जाएगा और/या सीधे कार्डहोल्डर से और/या बैंक या उसकी समूह कंपनियों के साथ कार्डहोल्डर द्वारा रखे गए किसी भी खाते (संयुक्त खातों सहित) से वसूला जाएगा। करेंसी रूपांतरण पर लागू जीएसटी, स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) और अन्य कर लेनदेन की तारीख के उसी दिन आपके खाते से डेबिट किए जाएंगे।

8. यदि वॉलेट में अधिक राशि जमा है/अपर्याप्त है या खाते को सेट ऑफ/ग्रहणाधिकार किया गया है, तो बैंक को ग्राहक से वसूलने का अधिकार होगा, भले ही वर्तमान में या भविष्य में कार्डहोल्डर के खाते में जमा राशि पर कोई अन्य ग्रहणाधिकार या शुल्क हो, चाहे वह एकल नाम में हो या संयुक्त नाम में, विदेश में ग्राहक द्वारा प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी बकाया राशि की सीमा तक

करेंसी रूपांतरण दरें

यदि फ़ॉरेक्स फ़ंड किसी अन्य करेंसी में प्राप्त किए जाते हैं, जिसके लिए कार्ड जारी किया गया था (या बाद में बदला गया था), तो फ़ॉरेक्स फ़ंड को विद्यमान तारीख पर करेंसी रूपांतरण दरों पर ऐसी नई करेंसी में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें कार्डहोल्डर द्वारा एटीएम से फ़ॉरेक्स फ़ंड प्राप्त करने की स्थिति शामिल होगी, जो उस करेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य करेंसी में हो, जिसमें कार्ड जारी किया गया था (या बाद में चार्ज किया गया था)।

करेंसी रूपांतरण दर वह राशि होगी जो कार्ड की करेंसी से नई करेंसी में रूपांतरण के लिए विदेशी करेंसी निधि से काटी जाएगी, जो उस समय लागू नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी जब ऐसा लेनदेन संसाधित किया जाता है।

वर्तमान में, वीज़ा समर्थित कार्डों के लिए, वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय नीति और प्रक्रियाएं, अन्य प्रावधानों के साथ, यह निर्धारित करती हैं कि यदि कोई लेनदेन (चाहे वह फ़ॉरेक्स फ़ंड की निकासी हो या अन्य) उसी दिन संसाधित किया जाता है, तो लागू करेंसी रूपांतरण दर निम्न में से कोई एक होगी:

I. प्रोसेसिंग से एक दिन पूर्व प्रभावी थोक बाजार दर, या

II. प्रोसेसिंग से एक दिन पूर्व लागू सरकारी निर्धारित दर; जिसे वीज़ा इंटरनेशनल द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा।

जैसा कि पहले के खंड में बताया गया है, बैंक अतिरिक्त करेंसी रूपांतरण दर/शुल्क लगाता है जो वर्तमान में 3.5% प्लस लागू जीएसटी है (और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली उच्च/अन्य दर हो सकती है), और जिसे फ़ॉरेक्स फ़ंड से काट लिया जाएगा। यह करेंसी रूपांतरण दरों/फीस/लागतों/शुल्कों या वीज़ा इंटरनेशनल द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार आवश्यक अन्य बातों से स्वतंत्र है।

प्रकटीकरण

I. कार्डहोल्डर स्वीकार करता है कि कार्ड सुविधाओं के उसके इस्तेमाल की जानकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान की जाती है जो ऐसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

II. कार्ड के लिए आवेदन की स्वीकृति कार्डहोल्डर की ऋण पात्रता के बारे में किसी प्रतिकूल प्रतिवेदन के आधार पर नहीं होती है।

III. बैंक फ़ॉरेक्स कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक या कार्डहोल्डर की फ़ॉरेक्स कार्ड सुविधा रद्द किए जाने की सूचना अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को प्रदान कर सकता है।

IV. प्रतिकूल प्रतिवेदन (कार्डहोल्डर या उसके परिवार के सदस्यों की ऋण पात्रता से संबंधित) प्राप्त होने पर, बैंक लिखित में 15 दिन की पूर्व सूचना के बाद फ़ॉरेक्स कार्ड को रद्द कर सकते हैं, जिसके बाद फ़ॉरेक्स कार्ड के संबंध में संपूर्ण बकाया राशि और फ़ॉरेक्स कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी अन्य शुल्क, हालांकि अभी तक फ़ॉरेक्स कार्ड को बिल नहीं किया गया है, कार्डहोल्डर द्वारा तुरंत देय होगा।

V. बैंक कार्डहोल्डर को उस बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा, जहां से उसने जानकारी प्राप्त की या जिसके लिए उसने जानकारी का खुलासा किया।

कार्ड के इस्तेमाल को समाप्त करने/अवरुद्ध करने/अस्वीकार करने/फ़ॉरेक्स फ़ंड तक पहुंच का अधिकार

बैंक निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर कार्ड के उपयोग/फ़ॉरेक्स फ़ंड्स तक पहुंच को अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त/अवरुद्ध/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

i. यहां उल्लिखित शर्तों के पालन में विफल रहने की स्थिति में।

ii. कार्डहोल्डर का दिवालियापन, दिवालियापन प्रक्रिया या किसी अन्य समान कानूनी प्रक्रिया के अधीन हो जाने स्थिति में।

iii. कार्डहोल्डर की मृत्यु की स्थिति में।

iv. जब यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाए कि किसी व्यक्ति को विधिपूर्वक फ़ॉरेक्स फ़ंड प्राप्त करने/कार्ड का उपयोग करने का अधिकार है या नहीं, और/या

v. किसी उपयुक्त प्राधिकरण के निर्देश या लागू कानून, नियम और विनियमों के तहत आवश्यक किसी अन्य कार्रवाई के लिए।

इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक किसी भी समय, बिना किसी नोटिस या कारण बताए, कार्ड होल्डर द्वारा सभी या किसी भी सेवा या उनके इस्तेमाल को निलंबित या समाप्त कर सकते हैं। इन नियमों और शर्तों के सभी प्रावधान जो अपने अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए सेवाओं के निलंबन या समाप्ति और/या कार्डहोल्डर द्वारा सेवाओं के इस्तेमाल के बाद भी बने रहेंगे, और कार्ड के निलंबन या समाप्ति के बाद भी पूरी प्रकार से लागू रहेंगे। ऐसे निलंबन या समाप्ति के बावजूद, कार्डहोल्डर इन शर्तों से इस सीमा तक बंधा रहेगा कि वे कार्डहोल्डर के किसी भी दायित्व या देनदारियों से संबंधित हैं जिन्हें पूरा किया जाना या निर्वहन किया जाना शेष है।

शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

यह नियम और शर्तें तथा कार्डहोल्डर द्वारा कार्ड का इस्तेमाल भारत के कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे। सभी विवाद केवल मुंबई, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

पक्ष (अर्थात कार्डहोल्डर और बैंक) इस बात पर सहमत हैं कि कार्डहोल्डर (और/या कार्डहोल्डर के माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति) द्वारा कार्ड के लिए इन नियमों और शर्तों से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा, कानूनी कार्रवाई

या कार्यवाही भारत में मुंबई के न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में लाई जाएगी और पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से खुद को ऐसे न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करेंगे।

पृथक्करणीयता और छूट

इन नियमों और शर्तों के प्रत्येक प्रावधान को अन्य से अलग किया जा सकता है और यदि किसी भी समय, ऐसे प्रावधानों में से एक या अधिक किसी भी क्षेत्राधिकार के कानूनों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाते हैं, तो शेष प्रावधानों की वैधता, प्रभावशीलता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

बैंक द्वारा कोई भी कार्य, देरी या चूक इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत उसके अधिकारों, शक्तियों और उपायों या ऐसे अधिकारों, शक्तियों या उपायों के अन्य आगे के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी। इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य अधिकारों और उपायों से अलग नहीं हैं।

अधिकार सौंपना

कार्डहोल्डर स्वीकार करता है कि बैंक अपने विवेकानुसार, फ़ॉरेक्स कार्ड से संबंधित अपने किसी भी या सभी अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को सौंप, हस्तांतरित या स्थानांतरित कर सकता है, जिसके लिए कार्डहोल्डर की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

विविध प्रावधान

बैंक कार्डहोल्डर को कुछ सुविधाएँ, सदस्यताएँ और सेवाएँ ऐसे शुल्कों और नियमों और शर्तों पर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे। किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक किसी भी समय पूर्व सूचना के साथ और कार्डहोल्डर के प्रति उत्तरदायित्व के बिना शुल्क मुक्त करने या कम करने और ऐसे लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण कार्ड सदस्यता की कोई भी समाप्ति, ऐसी सुविधाओं और सेवाओं की स्वतः समाप्ति का परिणाम होगी। बैंक, या मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी सुविधाओं, सदस्यता या सेवाओं के निष्पादन में दोष या उल्लंघन या उनके गैर-निष्पादन के मामले में, किसी भी प्रकार से कार्डहोल्डर के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक कार्डहोल्डर द्वारा उसके आवेदन पर तथा सर्वेक्षणों के दौरान दी गई जानकारी, उपभोक्ता प्रतिवेदन सहित बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी, बैंक/सहबद्धों द्वारा की जाने वाली विपणन प्रतिवेदन और गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बैंक इस जानकारी का इस्तेमाल मेल सूचियाँ विकसित करने के लिए कर सकता है, जिनका इस्तेमाल उन कंपनियों द्वारा किया जा सकते हैं जिनके साथ बैंक कार्डहोल्डर के लिए विपणन ऑफ़र विकसित करने के लिए काम करेगा।

बैंक समय-समय पर कार्ड पर दी जाने वाली नीतियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्डहोल्डर ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों से तब तक बाध्य होगा जब तक कि संशोधन/परिवर्तन किए जाने की तारीख से पहले कार्ड को रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं कर दिया जाता।

कानून द्वारा या किसी अन्य समझौते के अंतर्गत प्रदत्त सामान्य अधिकार या अन्य अधिकार के अलावा, बैंक बिना किसी सूचना के, फ़ॉरेक्स कार्ड पर शेष राशि को किसी अन्य खाते (खातों) के साथ जोड़ या समेकित कर सकते हैं जिसे कार्डहोल्डर बैंक और/या इसकी लिए अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी प्रकार से कार्डहोल्डर की होगी कि बैंक को संचार के लिए सही पते के बारे में सूचित किया गया है, और बैंक गलत पते के मामले में ऐसी सभी देयताओं से इनकार करता है जिसके परिणामस्वरूप कार्डहोल्डर को कोई नुकसान या देयता होती है।

कार्डहोल्डर उन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है, जिन्हें बैंक या उसके सहयोगी समय-समय पर कार्डहोल्डर द्वारा प्राप्त सुविधाओं/सेवाओं के लिए निर्धारित कर सकते हैं और इसके द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े इंटरचेंज, कॉल सेंटर, टेलीसर्विस ऑपरेशन (चाहे आवाज, वीडियो, आंकड़े या उनका संयोजन) या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, स्वचालित मशीन नेटवर्क या दूरसंचार के अन्य साधनों के माध्यम से दूरस्थ लेनदेन करने के लिए सुविधाओं के माध्यम से किए गए सभी ऐसे लेनदेन, जो बैंक या उसके सहयोगियों द्वारा या उनकी ओर से स्थापित किए गए हैं, ऐसी सुविधाओं/सेवाओं के लिए और उनके संबंध में, कानूनी रूप से बाध्यकारी और वैध लेनदेन का गठन करेंगे, जब बैंक या उसके सहयोगियों द्वारा ऐसी सुविधाओं/सेवाओं के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन में और उनके अनुपालन में किया जाता है, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

समूह कंपनियों के साथ रखता है, और ऐसे अन्य खाते (खातों) में जमा राशि को फ़ॉरेक्स कार्ड के अंतर्गत बैंक के प्रति कार्डहोल्डर की देयता की संतुष्टि के लिए सेट-ऑफ़ या स्थानांतरित कर सकता है। कार्डहोल्डर को कार्ड के लिए आवेदन पत्र में बताए गए संचार के

इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन

बैंक किसी भी समय इन नियमों और शर्तों, फ़ॉरेक्स कार्ड पर दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, मौजूदा शेष राशि, शुल्क या दरों और गणना के तरीकों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन शामिल हैं।